धर्ती पाकर मदन लाल अग्रवाल

वी.

के. आर. नारायणन और ओआरएस।

24 नवंबर, 1997

[एस. सी. अग्रवाल, जी. एन. रे, डॉ. ए. एस. आनंद, एस. पी. भरुचा और एस. राजेंद्र बाबू, जे. जे.]

चुनाव कानूनः

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952:

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा संशोधित धारा 5-बी और 5-सी

चुनाव (अध्यादेश) 1997-वैधता की वैधता पहले ही 7 न्यायाधीशों द्वारा बरकरार रखी जा चुकी है।

चरण लाल साहू मामले में इस अदालत की पीठ-आयोजित, चरण लाल साहू मामला

पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है।

अभ्यास और प्रक्रियाः

समग्र याचिका-रखरखाव-याचिका चुनाव के रूप में वर्णित है

सह-रिट याचिका-आयोजित, ऐसी याचिका विचारणीय नहीं है -

भारत-अनुच्छेद 32।

याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक समग्र याचिका दायर की

भारत ने इसे चुनाव याचिका-सह-लिखित याचिका के रूप में चुनौती दी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों की धारा 5-बी और 5-सी

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव द्वारा संशोधित अधिनियम, 1952

(अध्यादेश), 1997। इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता को बताया कि

अदालत उनकी याचिका को रिट याचिका मानेगी और उनके द्वारा मांगी गई राहत प्रत्यर्थी संख्या 1 के चुनाव को अलग करने के संबंध में हटा दिया जा सकता है।

याचिका खारिज करते हुए, यह न्यायालय

पकड़नाः 1. याचिकाकर्ता के प्रस्तुत करने में कोई सार नहीं है

कि चरण लाल साहू बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। नीलम संजीव

• रेड्डी * को पुनर्विचार की आवश्यकता है। इस प्रकार रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है।

[336 - एच]

* चरण लाल साहू बनाम। नीलम संजीव रेड्डी, [1978] 1 एससीआर 1, संदर्भित को।

मौलिक न्यायनिर्णयः 1997 की लिखित याचिका (ग) सं. 622।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

अशोक देसाई, महान्यायवादी, टी. आर. अंधारुजिना, महान्यायवादी,

सोली जे. सोराबजी, (सी. एल. साहू) व्यक्तिगत रूप से, एस. के. बंदोपाध्याय, (धरती पाकर और एम. एल. अग्रवाल)। इन-पर्सन, पी. एच. पारेख, समीर पारेख, सुश्री रुचि खुराना, P.Parmeswaran, पल्लव शिशोदिया, सुब्रत बिड़ला, एन. के. कौल, मनोज वाड और

उपस्थित दलों के लिए ए. एम. खानविलकर।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. सी. अग्रवाल, जे. यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई थी

व्यक्ति। इसे चुनाव याचिका-सह-लिखित याचिका के रूप में वर्णित किया गया है। न्यायालय के समक्ष अपनी प्रस्तुतियों के दौरान याचिकाकर्ता को यह बताया गया कि ऐसी समग्र याचिका विचारणीय नहीं है और याचिकाकर्ता याचिका को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत चुनाव याचिका या रिट याचिका के रूप में मानने का विकल्प चुन सकता है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिका को एक रिट याचिका के रूप में माना जाए और प्रतिवादी संख्या 1 के चुनाव को रद्द करने के संबंध में उनके द्वारा मांगी गई राहत को हटाया जा सकता है। याचिकाकर्ता के उक्त बयान के अनुसार इस याचिका को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक रिट याचिका के रूप में माना गया है और राहत (ए), (डी) और (एच) को हटा दिया गया है। इस प्रकार याचिका धारा 5 बी और 5 सी के प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने तक ही सीमित है।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 (जिसे बाद में 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया) जैसा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों द्वारा संशोधित किया गया है।

[संशोधन] अध्यादेश, 1997 [1997 का सं. 13], इसके बाद एक 'अध्यादेश' को संदर्भित किया गया है। जहां तक 1974 के अधिनियम 5 द्वारा संशोधित धारा 5 बी और 5 सी की वैधता को चुनौती देने की बात है और जैसा कि वे उद्घोषणा से पहले थे

1997 के अध्यादेश को चरण लाल साहू बनाम मामले में इस न्यायालय की 7-न्यायाधीशों की पीठ ने बरकरार रखा है। नीलम संजीव रेड्डी, [1978] 1 एससीआर। 1 . अध्यादेश की वैधता को डब्ल्यू. पी. में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। (ग) संख्या। 293/97 और 322/97 जिन्हें क्रमशः 19 जून, 1997 और 11 जुलाई, 1997 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। अध्यादेश को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव [संशोधन] अधिनियम, 1997 [1997 का अधिनियम 35] द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त अधिनियम की वैधता को डब्ल्यू. पी. में चुनौती दी गई थी। (ग) नहीं। डी 13334/97 और उक्त रिट

याचिका को 13 अक्टूबर, 1997 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि इस अदालत का निर्णय चरण लाल साहू वी. नीलम संजीव रेड्डी, [ऊपर] को पुनर्विचार की आवश्यकता है। हम नहीं करते। याचिकाकर्ता के उक्त प्रस्तुतिकरण में कोई आधार ढूंढें।

इस प्रकार D.P.M.L. AGRAWAL v है। के. आर. नारायणन

[एस. सी. अग्रवाल, जे.] 337

इस रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता ए

ए.

अदालत शुल्क के भुगतान से छूट की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया है। हम.

उक्त आवेदन का अवलोकन किया है। उक्त आवेदन की अनुमति है।

याचिका खारिज कर दी गई।

आर के एस।